प्रेषक.

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उ०प्र०।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी / समन्वयक जिला स्वास्थ्य समिति, कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ उ०प्र०।

पत्रांक— एस०पी०एम०यू० / एन०आर०एच०एम० / विधि / 2012—13 / 3०५०- । दिनांक ०६.02.2013 विषय— मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार संविदा ए०एन०एम० के समायोजन के सम्बन्ध में। महोदय,

रिट याचिका संख्या—116/2013 (एस/एस), रीता कुमारी एवं 58 अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा निम्नानुसार आदेश दिये गये हैं:—

"Mr. Sandeep Dixit, learned counsel for petitioners submitted that although petitioners have a right to be adjusted first against the posts made available under NRHM Scheme at Kaushambi, however, it is in the interest of his clients that they may be given engagement at the earliest, as such, he has no objection in case petitioners are adjusted against the vacancies available in Districts Allahabad, Kaushambi, Fatehpur and Pratapgarh.

In this view of the matter, with the consent of parties counsel, the writ petition is finally disposed of with direction that petitioners who were working under NRHM Scheme on the post of ANM in previous year i.e. 2011-12 shall be considered for renewal against existing vacancies on the post of ANM available in districts Allahabad, Kaushambi, Fatehpur and Pratapgarh provided there is no adverse material against them and there is recommendation for renewal. The necessary orders shall be passed in this regard, expeditiously, say within a period of one week from the date of production of certified copy of this order."

मां उच्च न्यायालयं, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है, कि संविदा ए०एन०एम० के रिक्त पदों पर वर्ष 2012—13 के लिये अपने—अपने जनपद में रिट याचिका से सम्बन्धित प्रार्थिनियों के आवेदन पत्र प्राप्ति की वरीयता क्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष एक सप्ताह के भीतर समायोजन कराना सुनिश्चित करें।

कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराये।

दिनांक .02.2013

पत्रांक—एस०पी०एम०यू०,एन०आर०एच०एम० / विधि / 2012—13 / प्रतिलिपि :-

- 1. प्रमुख सचिव-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उ० प्र०।
- 3. वित्त नियंत्रक-एन०आर०एच०एम०,राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई लखनऊ।
- 4. महाप्रबन्धक, मात् एवं स्वारथ्य, एन०आर०एच०एम०,राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई लखनऊ।
- जिलाधिकारी— इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ, कोशाम्बी —उत्तर प्रदेश, इस आशय से कि वे जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय के अध्यक्ष है तथा जनपद में संचालित सभी गतिविधियां आप के ही नियंत्रण में है।

6. इलाहाबाद मण्डलीय प्रबन्धक, मण्डलीय परियोजना प्रबन्धन इकाई एन०आ२०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।

/ (अमित कुमार घोष) मिशन निदेशक